न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 75/2021 (2021/325)

घीसी पत्नि किशनलाल जाति बैरवा निवारी कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री मिठूसिंह राठोड वकील प्रार्थी
2. राजस्थानसरकार– पेरोकार सरकार तहसीलदार केकडी

–:: आदेश ::–

दिनांक 01/2/22

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर राज. के जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता स. नया–पुराना 102–100 के खसरा नम्बर 1877/131 रकबा 0.7920 किस्म बारानी प्रथम प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया द्वारा अपने खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 132 रकबा 0.24 है. किस्म गै.मु. खान में से रास्ता चाहा है। प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 1877/131 में आने जाने हेतु 15 फीट रास्ता खसरा नम्बर 132 में से दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया । प्रार्थीगण द्वारा पत्रांक 1242 दिनांक 8.11.2021 से प्राप्त जांच रिपोर्ट में तहसीलदार केकडी द्वारा ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता स. 102 पर खसरा नम्बर 1877/131 रकबा 0.7920 किस्म बारानी प्रथम घीसी पत्नि किशना जाति बैरवा के नाम दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए पुराना केकडी से देवली मार्ग से सिवायचक खसरा नम्बर 132 रकबा 0.42 है. किस्म गै.मु. खान , खातेदारी खसरा नम्बर 1877/131 रकबा 0.7920 है. भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु कच्चा रास्ता बना हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 132 कि किस्म गै.मु.खान है परन्तु मोके पर खान नहीं है। प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी से कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते से आसानी रहेगी। प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित होगा। प्रार्थी के आवागमन के लिये वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता की चौडाई 4.57 मी. व लम्बाई 44[illegible] कुल [illegible] 08 व.मी. है। डी.एल.सी. दर 301158 प्रति.है. से दुगनी किमत 12144 अक्षरे [illegible] एक सौ चौदह रूपये मात्र बनती है

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार केकडी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस सुनी गई । प्रार्थीया के लायक वकील श्री मिठूसिह राठौड ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वर्तमान डी.एल.सी.दर रास्ते हेतु नियमानुसार राशि जमा कराने हेतु तैयार है । अतः नियमानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सार्वजनिक रास्ता तरमीम किया जावें। पेरोकार सरकार ने विर्तक प्रस्तुत करते हुये बताया कि तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने मे राजस्थान सरकार को आपत्ति नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया । वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया । प्रार्थीया का प्रर्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी पर ख.न. 132 सिवायचक गै.मु.खान रकबा 0.42 है. में से रास्ते का रकबा 0.0201 है. (4.57 चौ.X44लम्बाई=201.08 व.मी.) यानि खसरा नम्बर 132 वर्तमान डी.एल.सी.दर 301158 रकबा 0.0201 कुल राशि 201.08X301158X2 बराबर 12114/– रूपये बनती है । प्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ते की भूमि का डी.एल.सी.दर अनुसार राशि तहसील कार्यालय में जमा करावें। राशि जमा कराने पर तहसीलदार केकडी उक्त रास्ते की भूमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज एंव नक्शे में तरमीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी,

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner